

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 868] No. 868] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 23, 2017/कार्तिक 1, 1939 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 2017/KARTIKA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1318(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ञञ), खंड (ञञञ) और खंड (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (घ) में,—
 - (i) दूसरे पंरतुक के खंड (च) का लोप किया जाएगा;
 - (ii) इस प्रकार संशोधित दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 "परंतु यह भी कि यदि किसी विदेशी राष्ट्रिक द्वारा प्रस्तुत शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज़ में पते के ब्यौरे
 अंतर्विष्ट नहीं हैं तो ऐसे मामले में विदेशी अधिकारिताओं वाले सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेजों और
 भारत में विदेशी राजद्तावास या मिशन द्वारा जारी पत्र को पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।"।

[अधिसूचना सं. 7/2017/फा. सं. पी. 12011/15/2017-ईएस सैल-डीओआर]

बिप्लव कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, आसाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 717(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. सं. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. सं. 816(अ), तारीख 12 नवंबर, 2009, सा.का.नि. सं. 76(अ), तारीख 12 फरवरी,

6340 GI/2017 (1)

2010, सा.का.नि. सं. 508(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. सं. 980(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. सं. 481(अ), तारीख 24 जून, 2011, सा.का.नि. सं. 576(अ), तारीख 27 अगस्त, 2013, सा.का.नि. सं. 288(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. सं. 544(अ), तारीख 7 जुलाई, 2015, सा.का.नि. सं. 693(अ), तारीख 11 सितंबर, 2015, सा.का.नि. सं. 730(अ), तारीख 22 सितंबर, 2015, सा.का.नि. सं. 882(अ), तारीख 18 नवंबर, 2015, सा.का.नि. सं. 347(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017 सा.का.नि. सं. 538(अ), तारीख 1 जून, 2017, सा.का.नि. सं.1038(अ), तारीख 21 अगस्त, 2017, सा.का.नि. सं. 1057(अ), तारीख 23 अगस्त, 2017 और सा.का.नि. सं. 1300(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2017 को संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2017

G.S.R. 1318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (i), (j), (jj), (jjj) and (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Sixth Amendment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in rule 2, in sub-rule (1), in clause (d),—
 - (i) In the second proviso, Clause (f) shall be omitted;
 - (ii) after second proviso as so amended, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in case the officially valid document presented by a foreign national does not contain the details of address, in such case the documents issued by the Government departments of foreign jurisdictions and letter issued by the Foreign Embassy or Mission in India shall be accepted as proof of address."

[Notification No.7/2017/F. No. P. 12011/15/2017-ES Cell-DoR]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R. 717(E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389(E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R. 816(E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76(E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508(E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 481(E), dated the 24th June, 2011 and number G.S.R. 576(E), dated the 27th August, 2013, number G.S.R. 288(E), dated the 15th April, 2015, number G.S.R. 544(E), dated the 7th July, 2015, number G.S.R. 693(E), dated the 11th September, 2015, number G.S.R. 730(E), dated the 22nd September, 2015, number G.S.R. 882(E), dated the 18th November, 2015, number G.S.R. 347(E), dated the 12th April, 2017, number G.S.R. 538(E), dated the 1st June, 2017, number G.S.R. 1038(E), dated the 21st August, 2017, number G.S.R. 1057(E), dated the 23rd August, 2017 and G.S.R. 1300(E), dated the 16th October, 2017.